

डिक्री मुकदमा इक्टदाई  
(ओ. 20 रुल 6-7 जाब्दा दीवानी )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलारा - श्रीमति हरबिन्दर डी सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 95/2014/राजरव वाद

उन्वान

1. कमलाबाइ पुत्री कन्हैयालाल पत्नि देवानन्द जाति दर्जी नि. भानपुरा म0प्र0

- वादीया

बनाम

1. दरयावबाई पत्नि प्रभूलाल जाति मेघवाल नि. कचराखेडी तहसील पिडावा

2. राजरथान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति - वकील वादीया - श्री पूरीलाल राठौड

वकील प्रतिवादी सं. 1 - श्री नीलकमल त्रिवेदी

यह मुकदमा आज वारसे इनफिराल कतई रुबरू ..... व हाजिरी वकील वादी गिनजागिन मुददई रुबरू वकील प्रतिवादी गिनजागिन मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रस्तुत वाद में ग्राम फतहगढ तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2069-72 के खाता सं. 113 की आराजी ख.नं. 348 रकबा 2 बीघा 13 बिरवा भूमि के संबंध में तहसीलदार पिडावा से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। दावा फाइनल डिक्री कर पक्षकारान के खाते निम्नानुसार पृथक पृथक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

1. दरयावबाई पत्नि प्रभूलाल जाति मेघवाल नि. कचराखेडी -

ग्राम	खाता सं.	खसरा नं.	कुल रकबा	किस्म
फतहगढ	113	348	2-00	घारानी प्रथम नहरी
		कुल किता 1	2-00	

2. कमलीबाइ पुत्री कन्हैयालाल पत्नि देवानन्द जाति दर्जी सा.देह -

ग्राम	खाता सं.	खसरा नं.	कुल रकबा	किस्म
फतहगढ	113	348	0-13	बारानी प्रथम नहरी
		कुल किता 1	0-13	

निज ..... मुबलिंग ..... बाबत ..... खचा इस मुकदमे के मय सुद बशरह .....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करे।  
सब मेरे दरस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..... को जारी की गई।

ह.सिं  
( हरबिन्दर डी सिंह )  
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
जिला झालावाड़ (राज. )

